प्रेस विज्ञप्ति

01.04.2026

माननीय न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ, ने दिनांक 31.03.2026 के आदेश के माध्यम से, मोहम्मद इकबाल (पूर्व एमएलसी, उत्तर प्रदेश) को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 की धारा 12(1) के तहत 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित किया है, और एफईओए, 2018 की धारा 12(2) के तहत 995.75 करोड़ रुपये मूल्य की कुर्क की गई संपत्तियों को केंद्र सरकार के पक्ष में जब्त करने का निदेश दिया है। यह आदेश माननीय विशेष न्यायालय द्वारा एफईओए, 2018 के तहत ईडी द्वारा दायर आवेदन के आधार पर पारित किया गया था।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी, लखनऊ द्वारा आईपीसी, 1860 और कंपनी अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। प्राथमिक सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि मोहम्मद इकबाल और उनके सहयोगियों ने उत्तर प्रदेश में विनिवेश प्रक्रिया में हेराफेरी के माध्यम से कई चीनी मिलों का धोखाधड़ी से अधिग्रहण किया।

जांच के दौरान, यह पता चला कि मोहम्मद इकबाल जानबूझकर जांच से बचते रहे, समन जारी होने के बावजूद पेश नहीं हुए, और आखिरकार भारत से फरार हो गए तथा अभी दुबई, यूएई में निवास कर रहे हैं। गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद, मोहम्मद इकबाल ने कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार कर दिया। इसलिए, ईडी ने एफईओए, 2018 के तहत उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए एक आवेदन दायर किया था।

रिकॉर्ड में रखे गए दस्तावेज़ों और कानूनी प्रावधानों के अनुपालन की जाँच करने के बाद, माननीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर आए कि मोहम्मद इक़बाल आपराधिक मुक़दमे से बचने के लिए भारत छोड़कर चले गए थे और विदेश में रहते हुए उन्होंने कानूनी कार्यवाही का सामना करने के लिए वापस आने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने यह भी पाया कि आवेदक (ईडी) ने एफईओए की धारा 4(2) और 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी (घोषणा के लिए आवेदन) नियम, 2018' के नियम 3 के तहत निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा किया।

तथ्यों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) लखनऊ ने 31.03.2026 के आदेश के माध्यम से मोहम्मद इकबाल को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया, और अपराध से अर्जित आय के तौर पर 995.75 करोड़ रुपये की कुर्क संपत्ति को ज़ब्त कर लिया है।